(राजस्थान–सरकार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा(आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :– 11 / 2024

पंजीकरण संख्या :– 2024 / 81

बउनवान

श्री रघुवीर सहरिया निवासी जगदीशपुरा, जगदीशपुरा लक्ष्मीपुरा उर्फ खांकरा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज.)

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज

(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)

निर्णय दिनांक 31.05.2024

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 06.05.2024 को जिला कलक्टर महोदय, बारां की आई.डी. पर ऑनलाईन अपील प्रस्तुत की गई जो न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के पत्रांक 484–485 दिनांक 07.05.2024 से अंतरित होकर इस न्यायालय में दिनांक 08.05.2024 को प्राप्त हुई। प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 03.04.2024 को लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम जगदीशपुरा पोस्ट बाल्दा ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा उर्फ खांखरा तहसील किशनगंज जिला बारां का सन् 2010 व वर्तमान की जनसंख्या का नक्शा संबंधी सूचना चाही गई थी। उनके द्वारा अपीलार्थी को किसी भी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके द्वारा इस न्यायालय में प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत विरूद्व (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के ऑनलाइन पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन–पत्र में चाही गई सूचना उपलब्ध करावें।

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक 08.05.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज को जरिये सम्मन क्रमांक 554–555 दिनांक 09.05.2024 से तलब कर, प्रस्तुत अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जरिये सम्मन क्रमांक 554–555 दिनांक 09.05.2024 से तलब किया गया।

अपीलार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज द्वारा पत्र क्रमांक/सूचना का [illegible]/2024/737 दिनांक 27.05.2024 से जवाब इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है एवं पत्र क्रमांक आरटीआई/2024/680–82 दिनांक 16.05.2024 से अपीलार्थी को भी जवाब भिजवा दिया गया है।

अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज से ग्राम जगदीशपुरा पोस्ट बाल्दा ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा उर्फ खांकरा तहसील किशनगंज जिला बारां का सन् 2010 व वर्तमान की जनसंख्या का नक्शा संबंधी सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज द्वारा पत्र क्रमांक/सूचना का अधिकार/2024/737 दि. 27.05.2024 से अवगत करवाया गया कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम जगदीशपुरा का 2010 व वर्तमान का जनसंख्या का नक्शा चाहा गया है जो उनके कार्यालय द्वारा संधारित नहीं किया जाता है। अतः वांछित सूचना उपलब्ध कराना असंभव है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.06.06 12:00:46 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र मे चाही गई सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक/सूचना का अधिकार/2024/737 दिनांक 27.05.2024 से इस न्यायालय को जवाब प्रस्तुत किया गया है और साथ हीं पत्र क्रमांक/आरटीआई/2024/680–82 दिनांक 16.05.2024 से अपीलार्थी को भी सूचित कर दिया गया है कि चाही गई सूचना उनके कार्यालय द्वारा संधारित नहीं की जाती है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत खारिज की जाती है। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज को आदेशित किया जाता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत आपके कार्यालय में प्राप्त होने वाले ऑफलाइन/ऑनलाइन आवेदन पत्र में चाही गई सूचना अथवा उससे संबंधित जवाब आवेदनकर्ता को अन्दर समय सीमा 01 माह में आवश्यक रूप से प्रेषित किया जावें। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **31.05.2024** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.06.06 12:00:46 IST
Reason: SelfAttested